न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13/2019 राजस्व अपील

1. जगदीश पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी मूंडिया तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार लालसोट निर्णय दिनांक 31.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम जगदीश प्रकरण सं. 402/2018 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री सुदीप मिश्रा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 06.09.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का श्रीमा ग्राम मूंडिया तहसील लालसोट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लालसोट में अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट श्री जगदीश पुत्र श्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मूंडिया तहसील लालसोट ने सम्वत 2075 में ग्राम मूंडिया में स्थित भूमि खसरा नं. 165 रकबा 5 बीघा भूमि किस्म सिवाय चक गै0मु0 नला पर रबी की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये ही अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 31.12.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31.12.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सिवाय चक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना साबित नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को दोषी मानकर भारी भूल की है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सुनवाई का एवं पटवारी हल्का से जिरह का मौका नहीं दिया। ना ही कोई नोटिस दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार लालसोट के निर्णय दिनांक 31.12.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम मूडिया में स्थित भूमि खसरा नं. 165 रकबा 5 बीघा किस्म सिवाय चक भूमि गै0 मु0 नला पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 31.12.2018 को बेदखल करने एवं तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पूर्ववर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवाय चक भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.12.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 402/2018 उनवानी सरकार बनाम जगदीश में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.12.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा